

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(01) राज/वाद/88 पार्ट

जयपुर दिनांक 29.12.18

:: आदेश ::

भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, श्री महेन्द्र सिंघवी एडवोकेट को कार्यभार संभालने की तिथि से रूपये 55,902/-प्रतिमाह (फिक्स) के निश्चित प्रतिधारण (रिटेनरशिप) पर राज्य के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करते हैं। वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे। इनकी नियुक्ति संबंधी सामान्य निबन्धन एवं शर्त तथा पारिश्रमिक निम्न प्रकार देय होगा:-

1. महाधिवक्ता का मुख्यालय जयपुर में रहेगा।
2. महाधिवक्ता को मासिक रिटेनरशिप फीस के अलावा एपीरियेन्स/स्पेशल एपीरियेन्स इन स्पेशियल केसेज फीस व ड्राफिटिंग एवं प्रारूपण चार्जेज आदेश क्रमांक प0 15(12)राज/वाद/06, जयपुर दिनांक 26.10.2010 यथा संशोधित दिनांक 04.09.2012, दिनांक 22.09.2015 एवं दिनांक 14.08.2018 के अनुसार देय होंगे।
3. महाधिवक्ता को किसी विशेष मामले में, जो अधिक प्रतिष्ठायुक्त अथवा अधिक मूल्यांकन का होगा, तो राज्य सरकार विशेष रूप से अधिक राशि भी शुल्क के रूप में दे सकेगी।
4. महाधिवक्ता अपने कार्यालय के लिए विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी के होंगे तथा उनका स्तर प्रमुख शासन सचिव के समकक्ष होगा।
5. महाधिवक्ता को राजकीय आवास उपलब्ध कराये जाने में प्राथमिकता दी जावेगी एवं राजकीय आवास की स्थिति में देय प्रतिमाह के रिटेनरशिप पर निर्धारित प्रतिशत से कटौती की जावेगी और राजकीय आवास उपलब्ध न होने पर उन्हें प्राइवेट आवास हेतु देय रिटेनरशिप पर निर्धारित प्रतिशत से माहवार किराया दिया जावेगा। यदि राजकीय आवास उपलब्ध न हो और वे अपने निजी मकान में रहना चाहेंगे तो उन्हें देय रिटेनरशिप पर नियमानुसार किराया भत्ता प्रतिमाह दिया जायेगा।
6. महाधिवक्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से फर्नीचर ले सकेंगे, जिसका किराया उन्हें निर्धारित दर से देना होगा।
7. महाधिवक्ता के मुख्यालय (जयपुर) से बाहर जाने पर उनको यात्रा भत्ता प्रमुख शासन सचिव के समान देय होगा।
8. महाधिवक्ता के कार्यालय एवं निवास पर राज्य सरकार की ओर से टेलीफोन की व्यवस्था की जावेगी। निवास स्थान पर लगे टेलीफोन के स्थानीय कॉल की सीमा प्रमुख शासन सचिव के समकक्ष होगी।
9. महाधिवक्ता को राज्य कार्य के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जावेगा जिसका उपयोग प्रमुख शासन सचिव के लिए निर्धारित प्रक्रिया व शर्तों के अनुसार किया जावेगा।
10. महाधिवक्ता अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त "दि राजस्थान लॉ एण्ड ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट मैनुअल" की धारा 7, 8 व 9 एवं राजकीय वादकरण नीति, (समय-समय पर यथा संशोधित) में अंकित कर्तव्यों की भी पालना करेंगे।

आज्ञा से,
29.12.18
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 राज्यपाल/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 उप मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर/महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त जिला कलक्टर्स/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
9. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
11. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक प्रकाशनार्थ।
13. निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
14. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
15. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
16. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
17. संबंधित, महाधिवक्ता, जयपुर।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/लेखा शाखा।
20. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
21. रक्षित पत्रावली।


29/12/18
शासन सचिव, विधि